प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.02.2025

स्वाट टीम नगर जोन , थाना सिहानी गेट व थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पेट्रोल पम्प के पास मेरठ रोड पर पेट्रोल पम्प का कैश व स्कुटी लूट करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूट के 02 लाख रूपये नगद व निशादेही पर लूटी गयी स्कुटी बरामद।

दिनांक 25.02.2025 को स्वाट टीम नगर जोन, थाना सिहानीगेट व थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान दिनांक 13.02.2025 को थाना हाजा क्षेत्र मे शुभम आटो मोबाइल्स, पेट्रोल पम्प नियर डी0पी0एस0 जी मेरठ रोड से पेट्रोल पम्प के स्टाफ के दो लडको से पेट्रोल पम्प का कैश 1070000/- रूपये बैंक मे जमा कराने जाते वक्त पेट्रोल पम्प से थोडी दूरी पर कैश व स्कुटी लूट करने वाले एक अभियुक्त को जी0डी0ए0 आफिस गेट के पास से लूट के 02 लाख रूपये व निशादेही पर हमदर्द ग्राउण्ड से झाडियो मे छिपाई हुई लूटी गयी स्कुटी UP14FV -5193 के साथ अन्तर्गत धारा 309(4)/317(2) BNS में गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नावेद पुत्र रसीद अली नि0- डी0एम0 रोड कालाआम चौराहा के पास थाना काला आम जनपद बुलन्दशहर

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त नावेद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि घटना से करीब 01 महिने पूर्व मेरा साथी इकराम पुत्र अकबर निवासी ग्राम सैमली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ने शुभम पेट्रोल पम्प मेरठ रोड से अपनी बाईक मे तेल भरवाया था।तब इकराम ने पेट्रोल कर्मीयो को स्कुटी से पेट्रोल पम्प का कैश ले जाते हुये देखा था। बहलीपुरा जनपद बुलन्दशहर मे गुलफाम पुत्र गुल्लन खाँ निवासी बहलीमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर ने एक बाग लगान पर ले रखा है। तब हम चारो साथी मै, गुलफाम,इकराम,बिजेन्द्र पुत्र छज्जू निवासी उटरावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर बाग मे मिले औऱ इकराम ने शुभम पेट्रोल पम्प के कैश को लूटने की बात बतायी तब हम लोगो ने इस पेट्रोल पम्प की दो बार रैकी की तभी हम चारो ने यह योजना बनायी। उसके बाद दिनांक 13.02.2025 को बिजेन्द्र व गुलफाम रोडवेड बस से मेरठ रोड व मै तथा इकराम मोटर साइकिल से मेरठ रोड पेट्रोल पम्प के पास आये। उसके बाद बिजेन्द्र पेट्रोल पम्प के सामने खडा हो गया तथा उसके थोडा आगे गुलफाम खडा हो गया एंव मै श्रीराम पिस्टन फैक्ट्री के गेट के पास खडा हो गया जब इकराम बाईक पर पेट्रोल पम्प के थोडा आगे खडा हो गया जैसे ही पेट्रोल कर्मी पेट्रोल पम्प से स्कुटी से कैश लेकर चले तो बिजेन्द्र ने हाथ उठाकर इशारा किया एंव दो अंगुलियो से इशारा किया कि

दो आदमी है। उसके बाद उनकी स्कुटी के पीछे इकराम अपनी बाईक से चला तब तक मेरे पास गुलफाम भी आ गया इकराम ने स्कुटी पर बैठे एक पेट्रोल कर्मी की कालर पकडी और मैने आगे से तंमचा दिखाया और इन लोगो से स्कुटी छीन ली। इसके बाद गुलफाम ने स्कुटी चलायी और मै स्कुटी के पीछे बैठा और इकराम बाईक से आगे आगे चला उसके बाद बिजेन्द्र वही से चला गया और फिर हमने एक ब्रडे से ग्राउण्ड मे स्कुटी को खडा करके डिग्गी का लॉक तोडकर डिग्गी मे रखा बैंग से कैश निकाल लिया और उसी ग्राउण्ड मे छोड दी फिर गुलफाम मै और इकराम एक ही बाईक पर बैठकर चल दिये। गुलफाम कैश व जो मेरे पास तंमचा था उसको लेकर रोडवेज से गया मै और इकराम कैमरो की नजर से बचते हुये गांव गांव होकर बहरीमपुरा बाग मे पहुंचे। वही चारो लोगो ने मिलकर कैश की गिनती की जो कुल 10,70000/ रूपये थे ,कैश का बटवारा किया तथा ढाई ढाई लाख रूपये हमने आपस मे बाट लिये थे और 70 हजार रूपये अलग से नये असलहे खरीदने के लिये इकराम को दे दिये थे एवं जो मोटर साइकिल हम घटना मे लेकर आये थे वह मोटर साइकिल व तमंचा हापुड पुलिस ने बरामद कर लिया है और गुलफाम व बिजेन्द्र को हापुड पुलिस ने पकड लिया है और मुझसे जो दो लाख रूपये बरामद हुये है यह धनराशि पेट्रोल कर्मी से लूटी गयी धनराशी वाले है जिनमे से 50 हजार रूपये खर्च हो गये तथा घटना मे जो कपडे जूते हम पहने थे वो सब अच्छे से जलाकर बुलन्दशहर नहर मे बहा दिये थे।

बरामदगी का विवरण

लूट के 02 लाख रूपये व लूट की स्कुटी न0- UP14FV -5193 संबंधित मु0अ0सं0 50/25 धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सिहानीगेट, गा0बाद

आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण के विरूद्ध लूट व लूट की योजना के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

स्वाट टीम नगर जोन

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-- दिनांक 22.02.2025 को टैंगो-1 कन्ट्रोल द्वारा थाना कार्यालय के सीयूजी वाट्सअप नं0 पर/दूरभाष द्वारा सूचना दी गई कि PRV 4762 इवेन्ट नं0- P22022546401 कॉलर धमेन्द्र निवासी म0नं0 503 ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि कमला नेहरू नगर के पास एक अज्ञात पुरुष मृत अवस्था में पडा हुआ है। मृतक की पहचान जावेद पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद के रूप में हुई। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा मृतक जावेद के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी। व जानकारी हेतु आस पास के सीसीटीवी कैमरे व मृतक के मोबाईल नम्बर की सीडीआर से और अधिक जानकारी करने का प्रयास किया गया

दिनांक 24.02.2025 को वादी/मृतक के पिता श्री रफीक अहमद पुत्र निजामुदीन निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुबन वापूधाम जिला गाजियाबाद की लिखित तहरीर बाबत सरफराज द्वारा वादी के बेटे जावेद की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त

हुआ जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व खुलासे के सम्बन्ध में तत्समय टीमे गठित की गयी थी जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजो का लगातार गहन विश्लेषण मैनुवल इंटेलिजैन्स, गहन पूछताछ एवं अन्य सूत्रो से जानकारी कर घटना का खुलासा किया गया। जिसमे दिनांक 24.02.2025 को अभियुक्त सरफराज उपरोक्त को उसके घर ग्राम रईसपुर से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सरफराज पुत्र कीमू निवासी मदरसा वाली गली ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरफराज उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 379/2022 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना मधुबन बापूधाम
2. मु0अ0सं0 489/2023 धारा 302 भादवि0 थाना मधुबन बापूधाम
3. मु0अ0सं0 78/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम

पूछताछ विवरण- अभियुक्त सरफराज से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मेरे गांव के मृतक जावेद की नाबालिग बहन का मेरे भाई मानू द्वारा वर्ष 2023 में दुष्कर्म किया गया था जिससे मेरा भाई मानू पुत्र कीमू को 20 साल की सजा होकर जेल में है उसी की रंजिश रखते हुये मृतक जावेद के परिवार से बदला लेने की ठान ली थी जिसे पूरा करने के लिए जावेद से दोस्ती कर ली थी और दिनांक 22.02.2025 को मैं जावेद को शराब पिला कर कमला नेहरू नगर के जंगल की तरफ ले गया था। और मौका पाकर रईसपुर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पडे कचरे के पास पडे पत्थर को उठाकर जावेद के सिर में दो तीन वार किये थे। जिससे मौके पर ही जावेद की मृत्यु हो गयी थी। और मैं मृतक जावेद को वहीं छोड कर,और उस पत्थर को वहां से थोडी सी दूरी पर कूडे व झाडियों में छिपाकर चुपचाप अपने घर आकर सो गया था। अभियुक्त सरफराज द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2023 में अपने ही गांव के एक व्यक्ति की पत्थर मार कर हत्या कर दी गई थी

बरामदगी का विवरण

1.घटना में प्रयुक्त एक पत्थर आलाकत्ल जिस पर काफी मात्रा में खून लगा है

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी से एटीएम में पत्ती लगाकर पैसे चोरी करने के प्रयास का एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.02.2025 को वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना-पत्र, अज्ञात व्यक्ति द्वारा बंथला फ्लाई ओवर के पास स्थित पीएनबी एटीएम की मशीन पर पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपये चोरी करने का प्रयास करने के सम्बध में थाना लोनी पर दिया गया। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0 112/2025 धारा- 318(2)/303(2)/62 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एटीएम में पत्ती लगाकर पैसे चोरी करने का प्रयास की घटना कारित करने वाले एक शातिर अभियुक्त नईम पुत्र बदरूजमाल निवासी

सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को मय घटना में प्रयुक्त सिल्वर की पत्ती व मो0सा0 स्पे0 रजि0नं0 DL5SCV9035 सहित चौकी क्षेत्र बंथला से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के अन्य साथी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर एटीएम में पत्ती चिपकाकर ग्राहकों के पैसे चोरी कर लेते हैं। मैंने एटीएम में पत्ती लगा रखी थी जो मैने आपको एटीएम से निकाल कर दी है जिसे हम लोग एटीएम मशीन के पैसे निकालने के स्थान पर चिपचिपे पदार्थ चिपका देते है और ग्राहक के पैसे एटीएम से पैसे निकालने की प्रकिया के 3-4 मिनट के बाद तक पैसे न मिलने पर हम ग्राहक के वापस जाने के बाद पैसे निकाल लेते है। मैं एटीएम मे पत्ती लगाकर पैसे चोरी करने के लिए खडा था कि आपने पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नईम पुत्र बदरूजमाल निवासी सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

थाना लोनी पर अभि0 के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 112/2025 धारा 318(2)/303(2)/62 बीएनएस व पूर्व में दिल्ली से भी स्नैचिग के अभियोग में जेल जा चुका है, अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थान लोनी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व औषधि निरीक्षक की सयुक्त टीम द्वारा एक गौदाम में भण्डारित अवैध औषधि ESKUF COUGH SYRUP के कुल 273 गत्ते जिसमें कुल 40926 शीशियाँ बरामद व 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस व औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इलायचीपुर में एचडीएफसी बैंक के निकट एक गौदाम में बिना लाईसेन्स के भण्डारित अवैध औषधि खासी का सिरप ESKUF COUGH SYRUP के कुल 273 गत्ते जिसमें कुल 40926 शीशियाँ बरामद की गयी। जिसमें एक शीशी की बाजार कीमत 211 रूपये व बरामद कुल 40926 शीशियों की बाजार कीमत करीब 87 लाख रूपये है तथा मौके से 01 शातिर अभियुक्त गौतम सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी ग्राम मुहम्मदनगर डीहा, थाना रामगांव जिला बहराईच (उ0प्र0) उम्र लगभग 44 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त अवैध औषधि बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर मु०अ०सं० 98/25 धारा 18/27 औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 व धारा 319 (2) एवं 318 (4) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त से गौदाम में बिना लाईसैन्स के भण्डारित अवैध औषधि खासी का सिरप ESKUF COUGH SYRUP के कुल 273 गत्ते जिसमें कुल 40926 शीशियों बरामद होने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि यह पूरा माल (खासी का सिरप) विमल पाण्डेय व मनोज कुमार का है। हम लोग मिलकर काम करते है, हम काफी दिनो से चोरी छिपके पुलिस व जनता को धोखा देकर गत्ते के अन्दर कम्बल व उसके ऊपर दवाई की शीशीयाँ रखकर ऊपर से कम्बल रककर पैक करके बिहार राज्य को सप्लाई करते है। जहाँ इसका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है। बिहार राज्य में काफी माँग रहती , इस काम से हमें काफी आर्थिक लाभ होता है। जो

पैसा मिलता है उसको आपस में बांट लेते है। अभियुक्त से बरामद भण्डारित औषधियों के लाईसेंस के बारे में पूछा तो बताया कि मेरे पास भण्डारित औषधियों से सम्बन्धित कोई भी वैध औषधि लाईसेंस / बिल नही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

1. - गौतम सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी ग्राम मुहम्मदनगर डीहा, थाना रामगांव जिला बहराईच (उ०प्र०) उम्र करीब 44 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त गौतम उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी कमि० गाजियाबाद पर बिना लाईसैन्स के भण्डारित अवैध औषधि का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

बिना लाईसेन्स के भण्डारित अवैध औषधि ESKUF COUGH SYRUP के कुल 273 गत्ते जिसमें कुल 40926 शीशियाँ बरामद

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम।